भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या 410
दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग में सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम

*410. श्री राजकुमार चाहरः
श्री आशीष दुबेः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग में सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक शृंखला आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक कार्यक्रम में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और तत्संबंधी विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों से रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुरक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में किस प्रकार सहायता मिलती है;

(घ) क्या उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निष्कर्षों के आधार पर कोई नई नीतिगत पहल शुरू की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"रसायन और पेट्रोरसायन औद्योगिक सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण कार्यक्रम" पर 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 410 के संबंध में विवरण

(क) से (ङ): रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने "रसायन और पेट्रोरसायन औद्योगिक सुरक्षा" के विषय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के रूप में एक नई पहल की है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख दुर्घटना जोखिम (एमएएच) इकाइयों के कर्मचारियों को "कार्य स्थल पर खतरनाक रसायनों की सुरक्षित हैंडलिंग और खतरनाक रसायनों से जुड़े जोखिम को कम करने" के विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार द्वारा बनाए गए डेटाबेस के अनुसार ऐसी 2393 एमएएच इकाइयां हैं। इन इकाइयों में लघु और मध्यम उद्यम भी शामिल हैं।

अगले पांच वर्षों के दौरान सभी एमएएच इकाइयों को कवर करते हुए ऐसे 48 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसी प्रत्येक एमएएच इकाई से दो व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) सहित 554 उद्योगों को कवर करते हुए आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ विवरण तथा इनमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	स्थान	प्रशिक्षण की तारीख	भाग लेने वाली इकाइयों की संख्या	प्रतिनिधियों की कुल संख्या
1	सिपेट: आईपीटी, अहमदाबाद, गुजरात	28-29 नवंबर, 2024	62	100
2	नई दिल्ली	16-17 दिसंबर, 2024	58	111
3	सिपेट: आईपीटी, भुवनेश्वर, ओडिशा	10-11 जनवरी, 2025	62	108
4	सिपेट:आईपीटी चेन्नई, तमिलनाडु	23-24 जनवरी, 2025	65	113
5	सिपेट: एसएआरपी - एपीडीडीआरएल - बेंगलुरु, कर्नाटक	30-31 जनवरी, 2025	89	127
6	सीएसएमजे विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश	06-07 फरवरी, 2025	78	144

क्र. सं.	स्थान	प्रशिक्षण की तारीख	भाग लेने वाली इकाइयों की संख्या	प्रतिनिधियों की कुल संख्या
7	सिपेट: आईपीटी-हैदराबाद, तेलंगाना	21-22 फरवरी, 2025	81	134
8	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब और हरियाणा	28 फरवरी से 1 मार्च 2025	59	126
कुल			**554**	**963**

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जिन्हें **रसायन संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस) के तहत आयोजित** किया जा रहा है, **प्रक्रिया सुरक्षा में सुधार लाने और संभावित विफलताओं से उत्पन्न होने वाली खतरनाक स्थितियों के जोखिम को कम करने पर केंद्रित हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न रसायन और** पेट्रोरसायन **उद्योगों के मध्य-स्तर के अधिकारियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सैद्धांतिक व्याख्यानों के साथ व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं** जिनमें **व्यावहारिक अनुभव के लिए मॉक ड्रिल भी शामिल है।**

विभाग ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निष्पादित **करने के लिए केंद्रीय** पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी **एवं प्रौद्योगिकी संस्थान** (सिपेट) **को** कार्यबद्ध **किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान** (आईआईटी), **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान** (एनआईटी), **वैज्ञानिक** एवं **औद्योगिक अनुसंधान परिषद** (सीएसआईआर) **और विश्वविद्यालयों जैसे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग विशेषज्ञों से डोमेन विशेषज्ञों को रसायन सुरक्षा, जोखिम मूल्यांकन, आपातकालीन तैयारी, अग्नि जोखिम, प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंधन, रसायनों की लेबलिंग और सुरक्षा डेटा शीट** (एसडीएस), **खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, रसायक और** पेट्रोरसायन **क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश और मानक आदि जैसे विषयों** में **प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।**

प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विभाग भविष्य में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयुक्त संशोधन करेगा।

*****